न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 28/2025

सुरेश गेना पुत्र श्री शिवनारायण गेना जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय अजमेर

–अप्रार्थी/सुपुर्दगीगार

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत प्रार्थी अभिभाषक

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

–:आदेश:–

दिनांक 24.10.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार सुरेश गेना पुत्र श्री शिवनारायण गेना जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन संख्या RJ 06 GC 7675 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पिकअप वाहन जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अपराध अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त की है, प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी चला आ रहा है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। रसद अधिकारी ने वाहन को झूठा लिप्त किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा अब किसी भी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। पुलिस को उपरोक्त वाहन की कोई आवश्कता नही है तथा उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा वाहन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा एवं वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा न्यायालय में पेश कर देगा। अतः प्रार्थी को वाहन पिकअप संख्या RJ 06 GC 7675 को पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 19.09.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील पीसांगन से ग्राम मांगलियावास में अवैध गैस रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी

जिला ...
अज...

(द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टाफ जांच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी मांगलियावास द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 18.09.2025 को गश्त के दौरान न्यू चौधरी होटल के पास कन्टेनर की आड में पिकअप संख्या RJ 06 GC 7675 खडी मिली जिसमें 31 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर रखे हुये थे तथा 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पिकअप के पीछे की साईड में रखे हुए थे तथा सिलेण्डरों के पास में ही एक इलेक्ट्रिक कांटा गैस रिफलिंग की पाईप व उपकरण आदि पड़े थे। मौके पर कंटेनर की जांच करने पर कंटेनर में 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये कुल 60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर तथा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का विवरण पृथक से तैया किया गया। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी से पूछताछ करने पर अवगत कराया कि आसपास होटल, ढाबों वालो व मुखबीर खास ने बताया कि उक्त गैस रिफलिंग का कार्य घनश्याम जाट निवासी मकरेडा द्वारा किया जा रहा है जो पुलिस को बावर्दी देखकर मौके से फरार हो गया। मौके पर खड़ी पिकअप वाहन सख्या RJ 06 GC 7675 को थानाधिकारी श्री निदेश कुमार पुलिस थाना मांगलियावास को सुपुर्द किया गया। यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3(1)(2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः वाहन पिकअप संख्या RJ 06 GC 7675 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन पिकअप संख्या RJ 06 GC 7675 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 19.09.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील पीसांगन से ग्राम मांगलियावास में अवैध गैस रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टाफ जांच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी मांगलियावास द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 18.09.2025 को गश्त के दौरान न्यू चौधरी होटल के पास कन्टेनर की आड़ में पिकअप संख्या RJ 06 GC 7675 खडी मिली जिसमें 31 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर रखे हुये थे तथा 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पिकअप के पीछे की साईड में रखे हुए थे तथा सिलेण्डरों के पास में ही एक इलेक्ट्रिक कांटा गैस रिफलिंग की पाईप व उपकरण आदि पडे थे। मौके पर कंटेनर की जांच करने पर कंटेनर में 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये कुल 60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर तथा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये इससे स्पष्ट हो जाता है कि एल.पी.जी की अवैध कालाबाजारी का कार्य अत्यंत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है तथा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(2) एवं (3) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने पिकअप वाहन संख्या RJ 06 GC 7675 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर *

जिला कलक्टर अजमेर

है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त RJ 06 GC 7675 के प्रथम दृष्टया गैस के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2025 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर